शुद्धिपत्र

<u>"नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" के संचालन के लिए</u>
<u>रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के पत्र के आमंत्रण के लिए नोटिस</u>

यह शुद्धिपत्र "नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण" के संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के पत्र के आमंत्रण के लिए नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन के संदर्भ में है. उक्त विज्ञापन के उत्तर में और 07 सितंबर को आयोजित बिड-पूर्व बैठक में विभिन्न एजेंसियों ने कुछ प्रश्न सामने रखे थे, जिनके स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	खंड सं.	मूल विज्ञापन का पाठ	संशोधित पाठ
1	1.2	नाबार्ड ..... जानकारी दी जाएगी.	नाबार्ड आधार स्तर पर वित्तीय समावेशन से जुड़े पहलुओं की जानकारी पाने के लिए देश के सभी राज्यों को शामिल करते हुए ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण कराना चाहता है. सर्वेक्षण के संचालन के लिए पात्र एजेंसियां अपनी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रेषित कर सकती हैं. प्रस्तुत ईओआई के आधार पर एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. *(अभ्युक्ति: अभी कोई एजेंसी शॉर्टलिस्ट नहीं की गई है).*
2	3.1	वित्तीय समावेशन ..... शामिल किया जाएगा.	वित्तीय समावेशन से जुड़े पहलू. देश के 29 राज्यों के लगभग 40,000 ग्रामीण परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा. एजेंसी का प्रस्ताव देश के सभी 29 राज्यों में सर्वेक्षण के संचालन के लिए होना चाहिए. नमूना प्रतिनिधित्वमूलक होना चाहिए. एजेंसी को पद्धति वाले खंड के एक भाग के रूप में अपने नमूने के डिजाइन और प्लान का विवरण देना होगा.
3	5.3	शामिल किए जाने वाले संकेतकों	विस्तृत संकेतक परिमार्जित किए गए हैं और इस शुद्धिपत्र के परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं.
4	6.1		केवल रजिस्ट्रीकृत एजेंसियां (कंपनियों सहित)/ शैक्षणिक संस्थाएं/ नीतिगत अनुसंधान संस्थान/ अनुसंधान कार्य से जुड़ी रजिस्ट्रीकृत सोसायटियां आवेदन करने के लिए पात्र हैं. एजेंसी स्वयं अथवा किसी अन्य पात्र संस्था के साथ मिलकर निविदा प्रस्तुत कर सकती है. किसी अन्य पात्र संस्था के साथ निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में एसोसिएशन (साझेदारी और कोलैबोरेशन व्यवस्था का विवरण) ईओआई प्रस्तुत करते समय देना होगा. यदि संयुक्त

			उद्यम के आधार पर कार्य किया जाना है, तो ईओआई में प्राथमिक एजेंसी का उल्लेख किया जाना चाहिए. एजेंसी किसी भी स्थिति में नाबार्ड की लिखित व्यक्त अनुमति के बिना कार्य के दौरान कार्य का कोई हिस्सा आउटसोर्स नहीं कर सकती. किसी भी परिस्थिति में एजेंसी सम्पूर्ण कार्य को किसी तीसरे पक्ष को आउटसोर्स नहीं कर सकती. संयुक्त उद्यम के मामले में संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग लागू होने वाले पात्रता मानदंड साझेदारी की प्रकृति और प्रकार तथा मूल्यांकन समिति के विवेक पर निर्भर करेंगे.
5	6.3	एजेंसी/ संस्थान/ संगठन ..... उसके विवरण देने चाहिए.	एजेंसी/ संस्था/ संगठन को प्रस्तावित राष्ट्र-व्यापी वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के समान स्तर के बड़े पैमाने पर किए जाने वाले सर्वेक्षण का पूर्व-अनुभव होना चाहिए और उनका विवरण प्रस्तुत करना चाहिए. किए गए सर्वेक्षणों के पैमाने, व्यापकता और संख्या के अनुपात में एजेंसियों को वेटेज दिया जाएगा.
6	6.5	एजेंसी .....तक वैध बनी रहे.	कार्य को संतोषप्रद तरीके से पूरा करने के लिए एजेंसी को बिड राशि के 5% तक के लिए परफ़ोर्मेंस बैंक गारंटी देने में सक्षम होना चाहिए. कार्य की संतोषप्रद तरीके से पूर्णता के बाद परफ़ोर्मेंस बैंक गारंटी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.
7	8.1	29 राज्यों में ..... जनसंख्या <50,000 हो.	भारतीय रिजर्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार 29 राज्यों के ऑल इंडिया टीयर 3 से टीयर 6 तक के सेंटर. एजेंसी से अपेक्षित है कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से डेटा का संग्रह और समामेलन करे. नाबार्ड किसी भी समय जिलों/ गांवों/ परिवारों आदि की कोई सूची देने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा.
8	9.1	अप्रोच और प्रक्रिया ..... यदि हो, बताया जाए.	इस भाग में एजेंसी यह स्पष्ट करेगी कि वह सर्वेक्षण के उद्देश्यों, सर्वेक्षण के अंतर्गत विविध कार्यकलापों के संचालन (सर्वेक्षण के शिड्यूल, गतिविधि आयोजना और मानव संसाधन आयोजना, समय-सीमा) और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के तरीके और कार्यविधि समझ रखती है. सर्वेक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता और संगठनात्मक अनुभव का उल्लेख

			आवश्यक है, और यदि किसी सरकारी क्षेत्र के सर्वेक्षण का संगठनात्मक अनुभव हो तो उसका भी. फील्ड अध्ययन में नाबार्ड का कोई अधिकारी नहीं जुड़ेगा. नाबार्ड कार्य सौंपते समय परिचय पत्र जारी करेगा.
9	11.2	पिछली बैलेंस शीट	यदि अद्यतन वर्ष की लेखापरीक्षा पूरी न हुई हो तो शुरुआती चरण में अ-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दिए जा सकते हैं. लेकिन यदि एजेंसी को शॉर्टलिस्ट किया गया तो उसे ईओआई में विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों की अनुपालना करनी होगी और अंतिम प्रस्ताव देते समय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे.
10	11.9	अतिरिक्त खंड जोड़ा गया	यदि कोई कोलैबोरेशन/ संयुक्त उद्यम/ साझेदारी प्रस्तावित हो, तो उसका विवरण.

परिशिष्ट - 1

विस्तृत संकेतक

अ. आजीविका संबंधी

•सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल

- •सामाजिक स्थिति
- •साक्षरता - जेंडर, सामाजिक वर्ग से जुड़ाव सहित जनसांख्यिकीय प्रोफाइल
- •व्यवसाय की स्थिति
- •कृषक श्रेणी
- •लीज विवरण
- •टेनेण्ट/ मौखिक पट्टेदार/ बटाईदार - लीज की लागत/ शर्तें
- •कौशल स्तर और कौशल सिखाने की आवश्यकता
- •प्राथमिकताप्राप्त गतिविधि
- •प्राथमिकताप्राप्त गतिविधि का कौशल सिखाने से संबन्धित विवरण

•कार्य प्रोफाइल

- •उद्यम मिश्र
- •संसाधन उपयोग - अपने स्रोत से या उधार से?
- •प्रतिफल – विपणन व्यवस्थाएं, कीमत वसूलना आदि - नकदी प्रवाह
- •सुविधाओं तक पहुंच
- •गांव का प्रोफाइल
- •निकटतम आउटलेट से दूरी: पोस्ट ऑफिस, बैंक, राजस्व कार्यालय, मार्ग, बाजार आदि तक पहुंच,

आ. वित्तीय समावेशन संबंधी

बचत

- बचत के महत्त्व के बारे में जागरूकता
- खाते का प्रकार - बचत/ चालू/ मीयादी/ आवर्ती आदि
- खाता किसने खोला?
- खाता खोलने का प्रयोजन
- खाते के परिचालन का इतिहास
- विभिन्न कालखण्डों में प्रति परिवार बचत (बचत/ चालू/ मीयादी/ आवर्ती आदि)
- बचत के लिए बैंकिंग प्रणाली का उपयोग - बचत के किस तरीके को तरजीह दि जाती है, उत्पाद और एजेंसी
- अनौपचारिक समूहों के माध्यम से बचत (एसएचजी, पोस्ट ऑफिस सहित)
- प्रत्येक परिवार में बचत खातों की संख्या
- विविध जेंडर और आयुवर्ग के बैंक खाते

- बैंक खातों में लेन-देन की बारंबारता
- बैंकिंग लेन-देन के लिए एटीएम(एटीएम/ पीओएस/ माइक्रो एटीएम)/ मोबाइल/ नेट बैंकिंग/ ई-पेमेंट का उपयोग

ऋण

- संस्थागत ऋण का लाभ लेने वाले सीमांत और छोटे किसानों का %
- प्रति हेक्टेयर लिया गया कृषि ऋण और बकाया राशि
- ऋणग्रस्तता का स्तर - प्रति परिवार ऋण राशि
- प्रति 1000 फार्म परिवारों पर केसीसी
- केसीसी - अलग रुपे केसीसी/ वीजा / मास्टर
- औपचारिक ऋण की उपलब्धता - स्रोतवार - औपचारिक और अनौपचारिक - जिसमें सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त देयता समूह आदि सम्मिलित हों - प्रयोजन-वार
- परिवार द्वारा लिये ऋण की मात्रा - स्रोतवार और गतिविधि वार
- नियोजन - प्राप्त ऋण का उपयोग
- ऋण का स्रोत - औपचारिक/ अनौपचारिक/ बैंक/ एमएफआई
    - यदि अनौपचारिक हो (नाम निर्दिष्ट करें)
    - ऋण स्रोत की प्राथमिकता - बैंक/ एमएफ़आई/ एसएचजी/ अनौपचारिक
    - इस प्राथमिकता का कारण
- ऋण की शर्तें - ब्याज और गैर-ब्याज
    - प्रभारित ब्याज दर - मासिक/ वार्षिक
    - ब्याज लगाने का तरीका - रिड्यूसिंग बैलेंस/ स्ट्रेट लाइन
    - लेन-देन लागत
    - ऋण प्रोसेसिंग शुल्क
    - प्रति ऋण मंजूरी विजिट की संख्या
    - प्रति विजिट यात्रा खर्च
    - एक विजिट में लगा समय
- प्राप्त ऋण की प्रकृति
    - निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट - जागरूकता, आवश्यकता, उपयोग
- ऋण सुविधाएं न लेने के कारण
- बैंकिंग सेवाओं के प्रति परिवारों का नज़रिया
- परिवार में उपलब्ध संपार्श्विक प्रतिभूतियां

सूक्ष्म वित्त अनुभव

- सदस्यता का विवरण
- एक से अधिक समूहों की सदस्यता - एसएचजी/ जेएलजी
- एक से अधिक स्रोतों से ऋण - एसएचजी/ जेएलजी से
- संव्यवहार का विवरण - बचत, ऋण, परेशान, बीमा

भुगतान और प्रेषण

- विभिन्न माध्यमों से भुगतान एवं प्रेषण के प्रति जागरुकता - बैंकिंग और गैर-बैंकिंग - डाकघरों और अनौपचारिक चैनलों सहित.
- भुगतान के लिए चेक का प्रयोग
- इलेक्ट्रोनिक भुगतानों का प्रयोग
- ऐसी भुगतान और प्रेषण सेवाओं के प्रयोग की बारंबारता

बीमा और पेंशन

- बीमा के प्रति जागरुकता
- बीमा का कवरेज
- बीमा की प्रकृति
- बीमा प्रीमियम - स्वयं का अंशदान/ सब्सिडी प्राप्त
- बीमा सुविधा नहीं लेने के कारण
    - पैसे का अभाव - राशि कितनी है?
    - पहुंच की समस्या?
    - यात्रा खर्च?
    - अन्य बाधाएं (स्पष्ट करें)
- पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कवरेज - सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत और स्वैच्छिक
    - **पेंशन योजना का विवरण**
    - **क्या आधार से जुड़ा है?**
    - **प्रधान मंत्री जन धन योजना**
- बीमा न लेने के कारण

वित्तीय साक्षरता

- लक्ष्य समूह की वित्तीय साक्षरता का स्तर (कुछ संबन्धित प्रश्नों के माध्यम से आकलन किया जाए)
- विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात् एफएलसी, सीबी, को-ऑपरेटिव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के वित्तीय साक्षरता प्रयासों की पहुंच का स्तर
- मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग

बैंकिंग सेवाएं प्राप्ति की सुविधा

- क्या बैंकिंग सेवाएं बेखौफ उपलब्ध है.
- बैंकिंग के स्थान से भौगोलिक समीपता, बीसी/बीएफ अथवा परंपरागत शाखा
- क्या दूरी हतोत्साहित नहीं करती है ?
- एक बैंकिंग सेवा अर्थात् खाता खोलने, ऋण प्राप्त करने आदि, लेने में लगने वाला औसत समय
- परिचालन की बारंबारता